बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

विषय :– औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) की कंडिका–4(vi) के अधीन ब्याज अनुदान की राशि स्वीकृत करने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण।

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) की कंडिका–4(vi) में प्रावधान है कि "औद्योगिक इकाइयों द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों से टर्मलोन लेने पर, लगने वाले ब्याज दर का 02 (दो) प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा (वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से अधिकतम 7 (सात) वर्षों तक देय होगी)। अनुसूचित जाति/जन जाति/महिला एवं निःशक्त वर्ग के उद्यमियों को विनिश्चित ब्याज दर के अतिरिक्त 5 प्रतिशत अधिक अनुदान ब्याज दर के रूप में देय होगा।" ब्याज अनुदान प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक होगा:–

(1) आवेदन–उपरोक्त वर्णित ब्याज अनुदान प्राप्त करने के लिए सभी इकाइयों द्वारा अपना आवेदन विहित प्रपत्र (जो परिशिष्ट–क के रूप में संलग्न है) में सभी आवश्यक कागजातों के साथ संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/प्रबंध निदेशक, बियाडा को समर्पित करेंगे, जो प्राप्त आवेदन पत्र एवं संलग्न कागजातों की जाँच कर अपनी स्पष्ट अनुशंसा के साथ 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम प्रक्षेत्र के मामलों में उद्योग निदेशक एवं बृहत् प्रक्षेत्र के मामलों में निदेशक, तकनीकी विकास को अग्रसारित करेंगे।

(2) महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/प्रबंध निदेशक, बियाडा आवेदकों को आवेदन की प्राप्ति रसीद देंगे, जिसका नम्बर एवं तिथि आवेदन पत्र पर अंकित करेंगे। महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/प्रबंध निदेशक, बियाडा द्वारा ब्याज अनुदान की अनुशंसा के क्रम में इकाई का निरीक्षण किया जाएगा।

(3) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम प्रक्षेत्र की इकाइयों के लिए उद्योग निदेशक, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित समिति एवं बृहत् प्रक्षेत्र की इकाइयों के लिए प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा उपरोक्त ब्याज अनुदान के लिए प्राप्त आवेदन पर समीक्षोपरान्त 21 (इक्कीस) दिनों के अन्दर निर्णय लिया जाएगा। संबंधित इकाइयों को उपर्युक्त समिति की बैठक की सूचना दी जाएगी तथा यदि उद्यमी चाहे तो बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं।

(4) उपरोक्त दोनों समितियों द्वारा समीक्षेपरान्त स्वीकृत मामलों में समिति की कार्यवाही की निर्गत तिथि के 7(सात) दिनों के अन्दर उद्योग निदेशक द्वारा स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जाएगा।

(5) स्वीकृत राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट/इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी कराकर इकाई को की जाएगी।

(6) सभी संलग्न कागजात इकाई के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्वअभिप्रमाणित होंगे एवं महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/प्रबंध निदेशक, बियाडा द्वारा जाँचोपरान्त भेजे जायेंगे।

(7) कंपनी एक्ट के तहत निबंधित इकाई/साझेदारी इकाई के संदर्भ में उसके निदेशक मंडल/साझेदारों द्वारा किसी व्यक्ति को कार्य संपन्न करने हेतु नामित करने का प्राधिकार पत्र भी संलग्न करना आवश्यक होगा।

(8) उपर्युक्त ब्याज अनुदान दिनांक 05.01.2015 से प्रभावी है।

(9) उपरोक्त ब्याज अनुदान इकाई के व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से अधिकतम 7 (सात) वर्षों तक देय होगी। ब्याज अनुदान प्राप्त इकाइयों को ब्याज अनुदान प्राप्त करने के पश्चात् लगातार सामान्यतया पाँच वर्षों तक कार्यरत रहना अनिवार्य होगा।

(10) उपर्युक्त ब्याज अनुदान उन्हीं इकाइयों को देय होगा जिनका निवेश प्रस्ताव जिला सिंगल विण्डो क्लियरेन्स समिति/राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद द्वारा अनुमोदित होगा।

(11) ब्याज अनुदान प्राप्त करने वाली इकाइयाँ अपना त्रैमासिक प्रतिवेदन संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/प्रबंध निदेशक, बियाडा को नियमिति रूप से पत्र अथवा इलेक्ट्रोनिक माध्यम (फैक्स, ई–मेल आदि) से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी।

(12) इकाई द्वारा ब्याज अनुदान के दुरूपयोग करने अथवा इस संकल्प में विहित शर्तों के उल्लंघन करने पर इकाइयों को दिये गए ब्याज अनुदान की पूरी राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सूद के साथ वसूल की जाएगी।

(13) औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011(समय–समय पर यथा संशोधित) के परिशिष्ट–II में उल्लिखित वंचित इकाइयों की सूची में शामिल इकाइयों को ब्याज अनुदान देय नहीं होगा।

(14) यदि कोई इकाई उपरोक्त वर्णित ब्याज अनुदान में से कोई राशि केन्द्र सरकार/राज्य सरकार की किसी अन्य नीति/योजना अन्तर्गत प्राप्त करतीं है तो उसे संदर्भित ब्याज अनुदान राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत नहीं दी जाएगी।

(15) उपरोक्त ब्याज अनुदान हेतु औद्योगिक इकाइयों द्वारा दिया जाने वाला आवेदन पत्र का विहित प्रपत्र (परिशिष्ट–क) इस प्रक्रिया का अंश माना जाएगा।-

अनुलग्नकः–"परिशिष्ट–क"

(हस्ताक्षर) 11/06/2015

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 982 /पटना, दिनांक : 11.06.15
सं0सं0– 4 तक0/औ0प्रो0नीति 2011/25/2015

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी(सी0डी0 में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय। साथ ही उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

ह0 11.06

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–982/पटना, दिनांक : 11.06.15
सं0सं0– 4 तक0/औ0प्रो0नीति 2011/25/2015

प्रतिलिपि : सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र इन्दिरा भवन, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त समिति हेतु एक सदस्य कृपया मनोनीत किया जाय।

ह0 11.06

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–982/पटना, दिनांक : 11.06.15
सं0सं0– 4 तक0/औ0प्रो0नीति 2011/25/2015

प्रतिलिपि : सभी विभागाध्यक्ष/वाणिज्य–कर आयुक्त, वाणिज्य–कर विभाग/ प्रबंध निदेशक, उद्योग विभाग के सभी निगम/बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार/निदेशक, उद्योग/निदेशक, तकनीकी विकास/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रमोद्योग बोर्ड, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, पटना/अध्यक्ष, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि0, पटना/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी उप विकास आयुक्त/ महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/ स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/ निदेशक, एम.एस.एम.ई.डी.आई., पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पटना/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 11.06

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 982 /पटना, दिनांक– 11.06.15
सं0सं0– 4 तक0/औ0प्रो0नीति 2011/25/2015

प्रतिलिपिः– आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0 11/06/2015

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

परिशिष्ट–क

ब्याज अनुदान के लिए आवेदन प्रपत्र

सेवा में,

प्रबंधक निदेशक,
बियाडा, पटना।
महाप्रबंधक,
जिला उद्योग केन्द्र,
....

ब्याज अनुदान के लिए किये गये दावा का विवरणी :–

(1) इकाई का नाम :–
पता : कार्यालय :–
कार्यस्थल :–

(2) इकाई के स्वत्वाधिकारी/साझेदारी/निदेशक/प्रबंध निदेशक का नाम एवं पूरा पता :–

(3) उद्यमी ज्ञापन पार्ट –II/ आई0ई0एम0, पार्ट 'बी'/ बृहत् प्रक्षेत्र के औद्योगिक इकाई के लिए निदेशक, तकनीकी विकास द्वारा निर्गत वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से संबंधी पत्र/ स्थायी निबंधन सं0 एवं तिथि :–

(4) उत्पादित वस्तु का नाम :–

(5) इकाई की उत्पादन तिथि :–

(6) कंपनी निबंधन का विवरण :–
(अभिप्रमाणित प्रति संलग्न)

(7) कंपनी निबंधन के तहत कार्य सम्पन्न करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति का नाम/पदनामः–
(प्राधिकृत पत्र संलग्न)

(8) वैट/सी.एस.टी. निबंधन सं. एवं तिथि :–

(9) (i) दूरभाष–
(ii) ई–मेल पताः–

(10) कुल पूंजी निवेश :–
(i) भूमि–
(ii) भवन–
(iii) संयंत्र एवं मशीनरी–
(iv) कार्यशील पूँजी–

(11) निवेश के स्त्रोत :–

(12) इकाई का उत्पादन वंचित सूची (परिशिष्ट–II) में शामिल है अथवा नहीं :–

(13) इकाई का वर्गीकरण– सूक्ष्य ☐ लघु ☐ मध्यम ☐ वृहत ☐ अति वृहत ☐

(14) रोजगार :–

(i) प्रबंधकीय –

(ii) पर्यवेक्षकीय –

(iii) अर्द्धकुशल/अकुशल –

(15)	बैंकों/वित्तीय संस्थानों का नाम–	
(16)	उद्यमी का वर्ग(अनुसूचित जाति/जन जाति/महिला एवं निःशक्त)–	
(17)	वित्तीय संस्थानों से लिए गये टर्म लोन की राशि एवं तिथि–	
(18)	टर्म लोन चुकाने की कुल निर्धारित अवधि	
(19)	पूर्व में प्राप्त किये गये ब्याज अनुदान की राशि अवधि के साथ(यदि कोई हो)	
(20)	ब्याज अनुदान की दावा की अवधि	

(21) औद्योगिक इकाइयों द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गये टर्म लोन पर चुकाए गये किस्त की राशि एवं दावा किये गये ब्याज अनुदान की राशि का विवरण(दिनांक ....से............तक):–

टर्मलोन पर चुकाए गये किस्त की निर्धारित देय तिथि	टर्मलोन पर चुकाए गये किस्त की वास्तविक तिथि	टर्मलोन पर ब्याज दर	टर्मलोन के किस्त में मूल धन की राशि	टर्मलोन के किस्त में ब्याज की राशि	टर्मलोन के किस्त दण्ड सूद की राशि	कुल चुकाए गये टर्मलोन की किस्त की राशि	दावा किये गये ब्याज अनुदान की राशि

घोषणा

एतद् द्वारा मैं घोषणा करता हूँ कि मेरी जानकारी में दिये गये उपरोक्त विवरण एवं तथ्य सही है। यदि इसके बावजूद कोई तथ्य या विवरण गलत/असत्य पाया जाता है तो मेरे उपर उद्योग विभाग द्वारा लिए गये निर्णय मुझे मान्य होगा। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि यह अनुदान केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या अन्य सहयोगी संस्था से पूर्व में नहीं लिया गया है।

आवेदक का हस्ताक्षर एवं तिथि

अन्य आवश्यक अनुलग्नकः–

(i) उद्यमी ज्ञापन– II/आई0ई0एम0, पार्ट 'बी'/ बृहत् प्रक्षेत्र के औद्योगिक इकाई के लिए निदेशक, तकनीकी विकास द्वारा निर्गत वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से

संबंधी पत्र / स्थायी निबंधन प्रमाण पत्र / विस्तार / विशाखन / आधुनिकीकरण योजना की स्वीकृति।

(ii)–टर्म लोन के संबंध में वित्तीय संस्थान का स्वीकृति पत्र

(iii)– इस संबंध में उपर्युक्त कंडिका– (21) में दिये गये विवरणी को वित्तीय संस्थान द्वारा अभिप्रमाणित करा कर वित्तीय संस्थान का अग्रसारण पत्र की मूल प्रति संलग्न करना होगा।

(iv) इकाई का परियोजना प्रतिवेदन

(v) बिक्री कर क्लियरेन्स प्रमाण पत्र

(vi) शपथ पत्र – इकाई द्वारा यह घोषणा कि दावा किये गये ब्याज अनुदान का उपयोग इकाई के उत्पादन कार्य में किया जाएगा और इस नीति के अन्तर्गत प्राधिकृत पदाधिकारी के पूर्व अनुमति के बगैर, ब्याज अनुदान लेने की तिथि से अगले पाँच वर्षों तक इकाई द्वारा इकाई का बिक्री, हस्तांतरण या अन्यत्र स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। ऐसा करने पर प्राप्त अनुदान की राशि निर्धारित सूद सहित उद्योग विभाग को वापस करूँगा।